20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

विशेष

(117)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

अवलोकन-4704/2018/ रायसेन/भू.रा.

पुनर्विलोकन प्रकरण क्र. /2018

निगरानी

1. पतिराम पुत्र स्व. श्री गिरधारीलाल,
2. श्रीमती प्रेम बाई पत्नी पतिराम,
3. श्रीकिशन पुत्र स्व. श्री गिरधारीलाल,
4. नारायण सिंह पुत्र स्व. श्री गिरधारीलाल,
5. राधेश्याम पुत्र श्री पतिराम,
6. दीनदयाल पुत्र श्री पतिराम,
7. सुरेश कुमार पुत्र श्री पतिराम, समस्त निवासीगण- ग्राम अगरिया चोपड़ा तहसील व जिला रायसेन (म.प्र.)

--आवेदकगण

श्री विनोद भार्गव अभि० द्वारा आज दि० 9.7.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 7.8.18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 9.7.18
राजस्व मण्डल. म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर रायसेन, जिला रायसेन (म.प्र.)
2. फेड्स को-आपरेटिव सहमति समिति भोपाल द्वारा-
   (1)पी.एम.मथाई पुत्र श्री मथाई
   (2)पी.जी. जाकली
   (3)नयन वर्गीजस, निवासीगण- बी.एच. एल. भोपाल (म.प्र.)
3. द्रोपती बाई पत्नी श्री जयसिंह, निवासी- आनंद नगर नाके के पास भोपाल (म.प्र.)
4. हरनाम सिंह पुत्र सरदार मेला सिंह,
5. ज्ञान सिंह पुत्र श्री हरीसिंह,
6. अमरजीत सिंह पुत्र श्री सरदार हरनाम सिंह,
7. सरदार मेला सिंह पुत्र श्री सरदार हरी सिंह,

विनोद भार्गव
एडवोकेट
ग्वालियर
09-07-2018

01
9.7.18

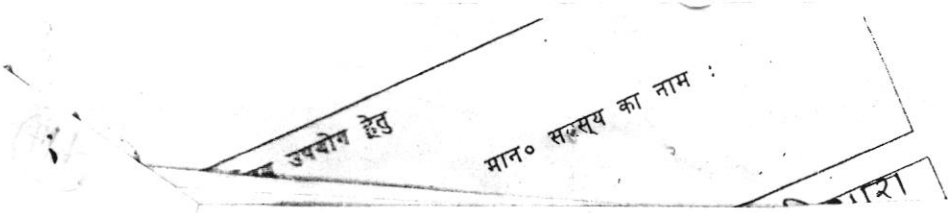

8. सरदार भान सिंह पुत्र श्री सरदार हरी सिंह,
9. हरनाम सिंह पुत्र श्री सरदार हरी सिंह,
10. प्रदीप सिंह पुत्र श्री बख्शी सिंह,
11. बख्शी सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह,
12. हरीसिंह पुत्र श्री नन्द सिंह,
13. मैला सिंह पुत्र श्री हरी सिंह,

निवासीगण– ग्राम अगरिया चोपड़ा तहसील व जिला रायसेन (म.प्र.) वर्तमान पता– ग्राम बिलखिरिया तहसील हुजूर जिला भोपाल (म.प्र.)

––अनावेदकगण

माननीय अध्यक्ष, न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. द्वारा प्रकरण अपील क्रमांक 4143–पीबीआर/15 में पारित आदेश दिनांक 05/01/2016 के विरूद्ध म. प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पुनर्विलोकन/4704/2018/रायसेन/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
23 -8-2018	आवेदकगण एवं अनावेदक क्रमांक 1 शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । मूल अपील प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह पुनर्विलोकन आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक अपील 4143-पीबीआर/15 में पारित आदेश दिनांक 5-1-2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 9-7-2018 को लगभग दो वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । आवेदकगण द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब का मुख्य कारण उनके अभिभाषक द्वारा आदेश की जानकारी नहीं देना दर्शाया गया है, किन्तु इस संबंध में अभिभाषक का शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । इस संबंध में 2014 आर.एन. 183 कुसुम (महिला) विरूद्ध महिला भूरी एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस आशय का न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अभिभाषक द्वारा पक्षकार को आदेश की सूचना नहीं देने के संबंध में अभिभाषक का शपथ पत्र पेश नहीं किया गया । अतः विश्वासोत्पादक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण विलंब माफ नहीं किया जा सकता । आवेदकगण द्वारा दो वर्ष तक अपने अभिभाषक से प्रकरण के बारे में जानकारी नहीं लेना उनकी गंभीर ढील एवं निष्क्रियता प्रकट करता है । इस संबंध में 1992 आर.एन. 289 उच्च न्यायालय द्वारा इस आशय का न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि पक्षकारों द्वारा मामले के भाग्य के विषय में जांच करने का कोई कदम नहीं उठाया । पक्षकारों का यह आचरण उनकी गंभीर ढील, उपेक्षा और निष्क्रियता प्रकट करता है, इसे सद्भाविक नहीं कहा जा सकता । अतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया समय बाह्य है । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टान्त 1992 आर.एन. 289 (उच्च न्यायालय) लंगरी (श्रीमती) तथा अन्य विरूद्ध छोटा तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत भी प्रतिपादित किया गया है:- "धारा 5-व्याप्ति-अधिकारिता की प्रकृति-वैवेकिक है-पक्षकार विलम्ब माफी	

के लिए अधिकार के रूप में हकदार नहीं है-पर्याप्त कारण का सबूत-अधिनियम की धारा 5 द्वारा न्यायालय में निहित अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए पुरोभाव्य शर्त है-न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति के अधीन अधिनियम अथवा विधि द्वारा विहित परिसीमा की कालावधि नहीं बढ़ा सकता ।"

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्याय दृष्टान्तों के प्रकाश में यह पुनर्विलोकन आवेदन पत्र ग्राहय किये जाने योग्य नहीं है । आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष 18 वर्ष पश्चात अपील प्रस्तुत की गई थी, किनतु उनके द्वारा 18 वर्ष के विलम्ब का समाधानकारक कारण नहीं दर्शाया गया था । उपरोक्त स्थिति में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 5-1-2016 को आदेश पारित कर अपील समय बाहय होने से अग्राहय की गई है । दर्शित परिस्थिति में आवेदकगण द्वारा पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में उठाये गये आधार मान्य किये जाने योग्य नहीं है । फलस्वरूप यह पुनर्विलोकन आवेदन पत्र अग्राहय किया जाता है ।

अध्यक्ष